

13.03.18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज लगवाई गई किन्तु वादीगण अक्षयलतन
या ककालतन उपस्थित नहीं आये। अतः वाद
वादीगण अदम हजरी व अदम पैवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली कैसलशुमार होकर
नंबर से कम हो एवं वाद तकमील जमा
जिला अभिलेखागार है।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी